

मुख्य सचिव, हरियाणा द्वारा विभागाध्यक्ष आदि को सम्बोधित परिपत्र क्रमांक 24-4 जी०एस०-II-76/5677, दिनांक 5 मार्च 1976 की प्रति

विषय :—ब्लड बैंक सोसायटी के कार्यों में सुधार ।

बहिर्दय,

मुझे निदेश हुआ है कि मैं उपरोक्त विषय पर आपका ध्यान दिलाऊँ और कहूँ कि voluntary blood donation programme को प्रोत्साहित करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन रहा है । इस मामले पर विचार करने पश्चात् सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जिस दिन कोई अधिकारी/कर्मचारी खून दे उसे उस दिन का अवकाश दिया जाए और उसे on duty समझा जाए । किन्तु यह सुविधा, एक साल में 4 बार से अधिक न दी जाये ।

2. इस पत्र की पावती भेजें ।

भवदीय,

हस्ता०/-

उप सचिव, सामान्य प्रशासन

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार

एक-एक प्रति निम्नलिखित:—

वित्तियुक्त, हरियाणा, सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही में भेजी जाती है ।